

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

आदेश

वाद सं० एम० 60 / 2023-24

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

प्रथम पक्ष..... नरेन्द्र साहु वगैरह

बनाम

द्वितीय पक्ष घुरन साहु वगैरह

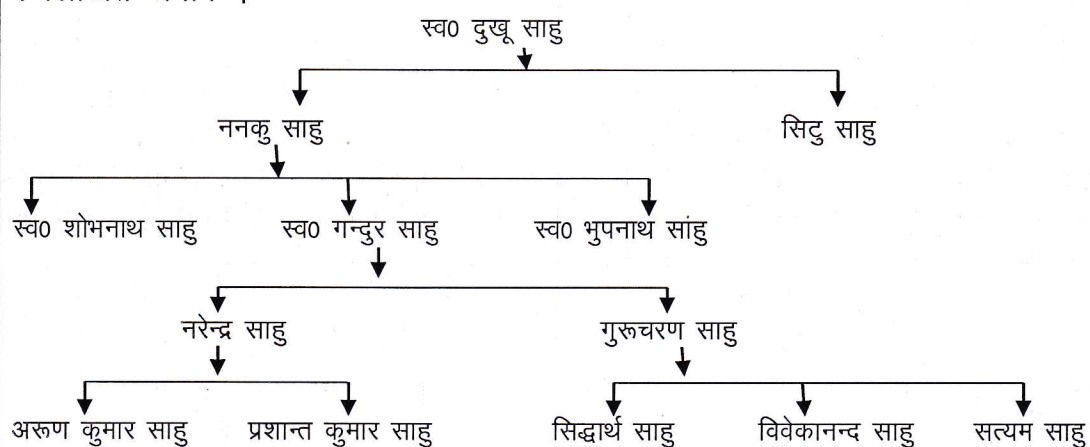
आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	वाद की कार्रवाई थाना बसिया अप्राथमिकी सं० 02/2023 दिनांक 08.07.2023 धारा 144 द०प्र०स० के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया जाता है कि प्रथम पक्ष (1) नरेन्द्र साहु उम्र करीब 60 वर्ष, पिता – स्व० गन्दुर साहु (2) दमयंती देवी उम्र करीब 55 वर्ष पति – नरेन्द्र साहु, (3) गुरुचरण साहु उम्र करीब 53 वर्ष पिता – स्व० गन्दुर साहु (4) दुलारी देवी उम्र करीब 45 वर्ष, पति – गुरुचरण साहु, (5) विवेकानंद साहु उम्र 20 वर्ष, पिता – गुरुचरण साहु सभी सा० – कुलूसेरा, थाना– बसिया, जिला– गुमला के बीच खाता सं० – 11 प्लॉट सं०– 318, 405, 416, 622 कुल रकबा 7.01 एकड़ भूमि का जमीन को लेकर का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षों के द्वारा अशांति फैलाने की सम्भावना है। थाना प्रभारी, बसिया के प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को विवादित भूमि पर 60 दिनों के लिए जाने से प्रतिबंधित करते हुए उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा जवाब दाखिल किये हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :- प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि खाता नं. 11/3 प्लॉट नं. 318, 405, 416, एवं 622 कुल रकबा 7.01 ए. जमीन के मौजा कुलूसेरा थाना बसिया जिला गुमला की जमीन प्रथम पक्ष को जमीन की खरीददारी सम्बत् साल 1995 साल जो ईसवी साल 1938 ई० में सादा हुकुमनामा द्वारा ननका साहु एवं चरकु साहु ने खरीदा है जो तीन पीढ़ी से दखलकार चले आ रहे हैं। घुरन साहु उम्र 50 वर्ष, पिता – जितवाहन साहु और बसन्ती देवी, पति – घुरन साहु विगत चार साल से झगड़ा-झंझट कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष कृष्णा साहु उम्र 48 वर्ष, पिता – करमु साहु एवं अझू साहु उम्र 40 वर्ष, पिता– करमु साहु, ग्राम– कुलूसेरा को खेत का आधा हक दिलाने के लिये उसकाया और सब मिलकर झगड़ा झंझट का मुद्दा उठाया है। दिनांक 02.07.2023 को घुरन साहु और बसन्ती देवी ने कुलूसेरा के सभी साहु परिवारों को बैठक बुलाया और पंचायत समिति सदस्य जो उनके खानदानी परिवारिक सदस्य हैं उससे सहमति लेकर बैठक में नरेन्द्र साहु वगैरह का 7.01 ए० जमीन टॉड पर कब्जा करने का निर्णय लिया गया।	

बैठक में घुरन साहु एवं इश्वर साहु, पिता – जिवाहन साहु कुलूसेरा ने 20 एवं 25,000 (बीस एवं पच्चीस हजार) रू० खर्च करने का हवाला दिया जिससे जमीन टांड पर कब्जा करने वालों पर कोई मुश्किल न आ पड़े। घुरन साहु का ट्रैक्टर और दिनेश साहु, पिता – मनोज उर्फ धनमन साहु, ग्राम-कुलूसेरा का ट्रैक्टर लेकर टांड व खेत पर कब्जा करने के उद्देश्य से हल चलाया। घुरन साहु, इश्वर साहु, अझू साहु, कृष्णा साहु सभी ने घातक हथियार लेकर भयावह स्थिति में प्रहार करने हेतु ईर्द-गिर्द घूम रहे थे। उस वक्त स्थिति गंभीर थी। सभी काटने मारने के लिये उतारू थे। उस वक्त कुछ भी हो सकता था। प्रथम पक्ष के सभी व्यक्ति भयानक स्थिति को जानते हुए भीड़ के नजदीक नहीं गए। खेत एवं टांड को जोतते वक्त बाकी बचे लोगों से हस्ताक्षर एवं घुर साहु और बसन्ती देवी ने सभी काम पूरा होने पर खस्सी खिलाने का वादा करते हुए किया। खाता सं० 11/3 प्लॉट सं० 318, 405, 416, एवं 622 कुल रकबा 7.01 ए० को ननका साहु एवं चरकु साहु नगद 200.00 (दो सौ) रू० में जिसमें ननका साहु 150.00 (एक सौ पच्चास) रू० और चरकु साहु सिर्फ 50.00 (पच्चास) रू० के योगदान से खरीदे हैं। नका साहु, पिता- स्व० दुखा साहु का हक अधिकार 75% का है और चरकु साहु का हक अधिकार 25% का है। कुल जमा 75% + 25% = 100% है, अब तक बरकरार है। 11/3 प्लॉट सं० 318, 405, 416, एवं 622 कुल रकबा 7.01 ए० का पंचायती बटवारा दिनांक 30.04.2023 को ग्राम के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा बांटा गया और बटवारानामा लिखा गया एवं सभी जनो के हस्ताक्षर लिये गये हैं। जमीन एवं टांड पर बटवारे के अनुसार ननका साहु एवं चरकु साहु सभी ने शांति पूर्ण स्थिति से कमाते खाते आए हैं, अब तक उनके ओरिसदार भी आबाद करते रहे हैं। घुरन साहु फर्जी/डुबलीकेट कागज बनाकर कृष्णा साहु एवं अझू साहु आधा हक दिलाने का झांसा दिया। अन्ततः यह झमेला झगड़ा बड़ा कर दिया। सदा हुकमनामा मामले का मूल प्रति फरियाद से पूर्व न्यायालय में प्रस्तुत किया जायगा।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष को बाउण्ड किया जाय वो प्रथम पक्ष के हित आदेश दिया जाय।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

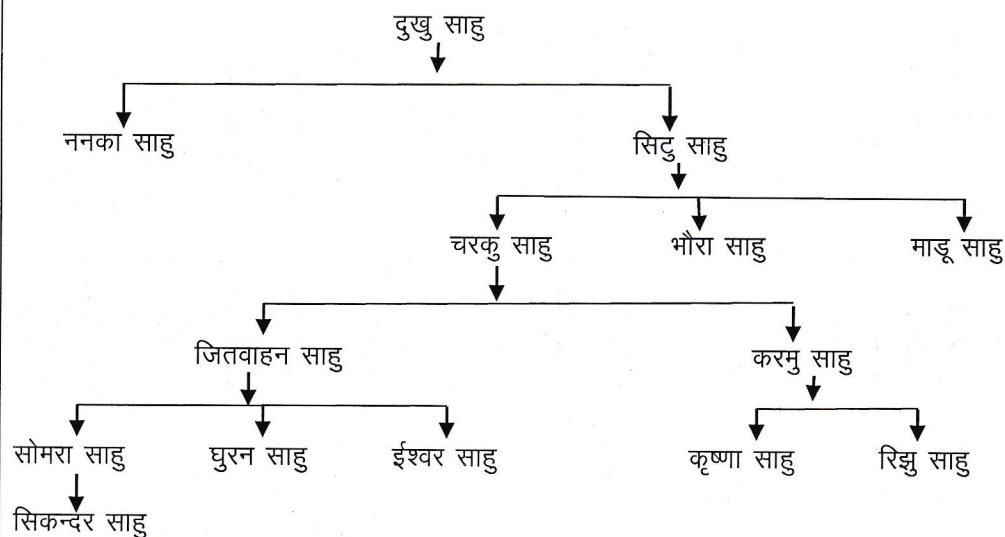
1 लिखित जवाब।



द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित जवाब एवं दाखिल कागजात :-

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए कारण पृच्छा दाखिल किया गया है कि प्रथम के सदस्यों के द्वारा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध में धारा 144 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की गयी है न्याया संगत नहीं है। मौजा- कुलूसेरा के खाता सं० 11 प्लॉट सं० 318, 405, 416, एवं 622 कुल रकबा 7.01 एक से संबंधित है। प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के पूर्वज ननका साहु पिता – दुखू साहु एवं चरकु साहु, पिता- सिदु साहु के द्वारा हुकूमनामा से प्राप्त जमीन है। उपरोक्त खाता सं० 11 प्लॉट सं० 318, 405, 416, एवं 622

रकबा क्रमशः 2.44 डी0, 1.10 डी0, 1.52 डी0, 1.95 डी0, कुल रकबा 7.01 डी0 पंजी II में ननका साहु पिता- दुखु साहु एवं जितवाहन साहु, पिता- चरकु साहु के नाम से दर्ज है और ननका साहु एवं जितवाहन साहु के नाम से रसीद कटता है। खाता सं0 11 प्लॉट सं0 एवं रकबा अंचल अधिकारी के मनेटेनेस रेकॉर्ड ऑफ निरन्तर खतियान में ननका साहु, पिता- दुखु साहु एवं जितवाहन साहु, पिता-चरकु साहु के नाम से दर्ज जिसका वंशावली इस प्रकार है।



उपरोक्त विवादित जमीन रकबा 7.01 डी0 ननका साहु, पिता- दुखु साहु एवं जितवाहन साहु, पिता- चरकु साहु के नाम से पंजी II में दर्ज जमीन को बांटवारा किया जाता है तो ननका साहु को 3.50½डी0 एवं जितवाहन साहु को 3.50½डी0 होता है लेकिन ननका साहु के वंशज प्रथम पक्ष एवं जितवाहन के वंशज द्वितीय पक्ष के बीच में जमीन बांटवारा के रकबा में बराबर नहीं है। इस बात की जानकारी द्वितीय पक्ष को होने पर प्रथम पक्ष से जमीन बाँटवारा बराबर-बराबर करने की बात प्रस्ताव रखा गया तो प्रथम पक्ष गरम लहजे में बोला कि अब जमीन का बाँटवारा नहीं होगा। विवादित जमीन के संबंध में दिनांक 2.07.2023 को पंचायत समिति की अध्यक्षता में ग्राम- कुलुसेरा में बैठक किया गया था बैठक में प्रथम पक्ष नरेन्द्र साहु वगै० उपस्थित नहीं हुए। द्वितीय पक्ष घुरन साहु वगै० बैठक में उपस्थित होकर कागजात दिखाये कागजात अवलोकन करने पर सही पाया गया। ग्राम सभा में दिखाये कागजात के आधार पर प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष को जमीन बाँटवारा में बराबर-बराबर होना चाहिए। जिसमें पंचायत समिति सदस्य सुषमा कुमारी का हस्ताक्षर, मोहर एवं तारिख है तथा 1 से लेकर 54 व्यक्ति का हस्ताक्षर है। प्रथम पक्ष के द्वारा थाना बसिया में मौखिक या लिखित सूचना दिये। थाना प्रभारी बसिया में जाँच कर हुजूर के न्यायालय में जाँच प्रतिवेदन रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया है। पुलिस जाँच रिपोर्ट में प्रथम पक्ष के दादा ननका साहु द्वारा जमीन खरीदते समय 75% रू० लगाया है और चरकु साहु द्वारा 25% रू० लगाया गया है। लेकिन ननका साहु एवं चरकु साहु दोनों मिलाकर कितना रूपया में जमीन खरीद किया है पुलिस जाँच रिपोर्ट में नहीं है। जमीन खरीदने में ननका साहु 75% रू० और चरकु साहु 25% रू० लगाया है तो पंजी II में दर्ज होना चाहिए था लेकिन पंजी II में ननका साहु, पिता- दुखु साहु एवं जितवाहन साहु, पिता- चरकु साहु के नाम से दर्ज है लेकिन साहु 75% रू० और 25% रू० दर्ज नहीं है तो कैसे कहा जा सकता है कि प्रथम पक्ष 75% रू० जमीन खरीदने में लगाया है यह बात गलत है। पारा 9 में प्रथम पक्ष नरेन्द्र साहु का जवाब में उपरोक्त खाता सं0 11 प्लॉट सं0 318, 405, 416 एवं 622 रकबा 7.01 डी0 भूमि को ननका साहु एवं चरकु साहु नगद 200.00 (दो सौ) रू० में ननका साहु 150.00 (एक सौ पच्चास) रू० आर चरकु साहु 50.00(पच्चास) रू० के योगदान से खरीदे है। ननका साहु का 75% हक और चरकु साहु का 25% हक है कुल 75% + 25% = 100% है जो सम्बत साल 1995 वर्ष 1938 ई० में

सादा हुकूमनामा द्वारा ननका साहु वो चरकु साहु ने खरीदा है लेकिन 150.00 (एक सौ पच्चास) रु० का 75% में ननका साहु को जमीन रकबा कितना होना चाहिए और 50.00(पच्चास) का 25% में चरकु साहु को जमीन का रकबा कितना होना चाहिए। जवाब में नहीं है इसे स्पष्ट होता है कि जमीन बाँटवारा नहीं हुआ है। खाता नं० 11 प्लॉट नं० 318, 405, 416 एवं 622 रकबा 7.01 डी० भूमि को 200/- रु० में ननकु साहु पिता दुखू साहु वो चरकु साहु पिता सिटू साहु सम्बत साल 1995 वर्ष 1938 में सादा हुकूमनामा द्वारा खरीदा गया है जो 1908 इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार 100/- रु० से अधिक बिक्री या सादा हुकूमनामा विधि के अनुसार अमान्य है। इस लिए ननका साहु पिता दुखू साहु एवं जितवाहन साहु पिता चरकु साहु के नाम से पंजी II में दर्ज है विधि संगत नहीं है। झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव राजबाला वर्मा का पत्रांक 04/स०भू० (दिशा-निर्देश) 95/2016, 2074 रा झारखण्ड सरकार, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एवं सभी उपायुक्त झारखण्ड, राँची दिनांक 13.05.2016 का दिशा निर्देश जारी की गई है (दिशा निर्देश) कंडिका ड इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के अनुसार 100/- से अधिक की सम्पत्ति का अनिबंधित हस्तांतरण विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है एवं अनिबंधित हुकूमनामा या पट्टा को आधार पर भू-हस्तांतरण के मामलों में जमाबन्दी की जाँच उसके आधार पर की जाय। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि :-

"It is settled law that for consideration of more than Rs. 100/- should be made by way of Registered Sale Deed. No. person can acquire any right and title on the basis of oral or unregistered sale deed."

यह कि प्रथम पक्ष छल से कपट से बुद्धि से निपुण है इस लिए 75%+25% = 100% होता है लेकिन पंजी II में दर्ज नहीं है इस लिए उभय पक्ष का बराबर-बराबर हक बनता है। द्वितीय पक्ष की ओर शांति भंग नहीं हो सकता है बल्कि प्रथम पक्ष धन बल से सबल है इस लिए प्रथम पक्ष के द्वारा शांति भंग हो सकता है

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि द्वितीय पक्षो पर दफा 144 द.प्र.स. का कार्यवाही समाप्त किया जाय और प्रथम पक्षो पर स्थिर रखा जाय ।

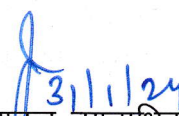
द्वितीय पक्ष की ओर से दाखिल कागजात।

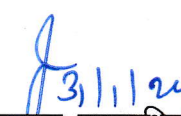
1 जवाब की प्रति।

निष्कर्ष

उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दाखिल लिखित जवाब से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि वादगत भूमि खाता सं० - 11 प्लॉट सं०- 318, 405, 416, एवं 622 रकबा 7.01 एकड़ से संबंधित है। समय सीमा खत्म हो गया है। वादगत भूमि पर शांति भंग होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं है। अतः इस वाद को बिना किसी गुण-दोष के समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।


अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।